...हुक्म को ...में जारी हुए हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/05/22	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों के बहस सुनी गयी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

मु.न. 10 / 2021

प्रार्थी

1. सोनाराम पुत्र हेमाराम
   जाति विश्नोई निवासी भीमथल हाल निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. प्रतापसिंह पुत्र हेमाराम
   जाति विश्नोई निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई. शाखा राणाप्रताप बाजार गुड़ामालानी
3. तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

उपस्थित :–

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1**

–: निर्णय :–

दिनांक :– 17/05/22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम आलपुरा पटवार क्षेत्र आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 92 रकबा 4.7186 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाडौस के विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 92/2 रकबा 4.7105 मौजा आलपुरा के आगे नहर निकली है तथा नहर के सहारे सहारे कच्ची सड़क है जो मुख्य सड़क से जुड़ती है इसी रास्ते का उपयोग पीडियों से करते आ रहे हैं। हरबार वारिस में काश्त करने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है तथा विप्रार्थीगण आने जाने में झगड़ा करते हैं। अतः हमारी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 92 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 92/2 में से संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible]स्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया [illegible] वकील चिमनसिंह चौधरी उपस्थित हुए तथा प्रार्थी के प्रा[illegible] पत्र का घोर विरोध करते हुए निवेदन किया कि बिना नहर विभाग की [illegible]नापति के किसी प्रकार का रास्ता देय नहीं है, नहर विभाग की अनापत्ति की पश्चात ही प्रार्थी को धारा 251ए के तहत रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 08 दिनांक 18.10.2021 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प कटान मार्ग तक पहुंचने का नहीं है, विप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 92/2 में से 3 गट्ठा चौड़ा व 40 गट्ठा लम्बाई में कुल रकबा 0–03 बीघा अर्थात 0.0243 हैक्टेयर का रास्ता प्रस्तावित है, प्रस्तावित रास्ते की भूमि परकिसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। आवेदन से पूर्व तथा वर्तमान में प्रार्थी द्वारा आस पास के खसरों में से पगडंडी का उपयोग किया जा रहा है। विप्रार्थी के खसरा संख्या 92/2 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से हाकर नर्मदा नहर निकल रही है, इस नर्मदा नहर की भूमि पर रास्ता उपलब्ध है, नहर की भूमि से प्रार्थी की भूमि तक रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये ''बैंगनी रंग मार्क'' अनुसार प्रार्थी की आराजी खेत खसरा संख्या 92 ग्राम आलपुरा में आने–जाने हेतु विप्राथी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 92/2 ग्राम आलपुरा में से चौड़ाई 3 गट्ठा व लम्बाई 40 गट्ठा का कुल रकबा 0–03 बीघा (0.0243 हैक्टेयर) रास्ते हेतु बरंग ''बैंगनी'' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयानुसार प्रस्तावित रास्ता [illegible] में आने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर [illegible] प्रचलित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।